



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215980
CG-DL-E-06022020-215980

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2020/माघ 14, 1941

No. 493]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2020/MAGHA 14, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2020

का.आ 531(अ).—जबकि केंद्र सरकार ने डा. अशोक बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 1988 के 1094 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में कीटनाशकों और खतरनाक रसायनों के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए एक अंतरमंत्रालयी समिति का गठन किया था।

जबकि अंतरमंत्रालय समिति ने 8 जनवरी, 2019 और 10 अक्टूबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में ट्राइसाईकलाजोल और बुपरोफेजिन के प्रयोग पर परिचर्चा करने बाद उसकी समीक्षा की है। इस अवसर पर पुनः यह निर्णय लिया गया है कि चावल की फसल में उक्त कीटनाशक की बाबत यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अधिकतम अपशेष सीमा को दृष्टिगत रखते हुए समग्र रूप में ट्राइसाईकलाजोल और बुपरोफेजिन के उपयोग, प्रभावकारिता और सुरक्षा का पुनः जायजा लिया जाए।

और जबकि केंद्र सरकार उक्त अंतरमंत्रालयी समिति द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर गौर करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ट्राइसाईकलाजोल और बुपरोफेजिन के इस्तेमाल से मानवों, पशुओं और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है।

इससे संभावित रूप में प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मसौदा आदेश एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उस तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद उक्त मसौदा आदेश पर विचार किया जाएगा जिस पर आदेश के साथ समाहित भारत के राजपत्र की प्रतियां लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

उक्त मसौदा आदेश के संबंध में किसी सुझाव अथवा आपत्ति को इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित किया जा सकता है।

अब, इसलिए, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46), की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाने का प्रस्ताव करती है। अर्थात्—

मसौदा आदेश

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (1) इस आदेश को कीटनाशक (निषेध) आदेश 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. **कीटनाशकों पर निषेध-**
- (1) कोई भी व्यक्ति ट्राइसाईकलाजोल और बुप्रोफेजिन का आयात, निर्माण, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण, भंडारण और प्रयोग नहीं करेगा।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत ट्राइसाईकलाजोल और बुप्रोफेजिन के लिए प्रदत्त पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त माना जाएगा।
- (3) ट्राइसाईकलाजोल और बुप्रोफेजिन के लिए प्रदत्त पंजीकरण से संबंधित प्रमाणपत्र रखने वाले सभी पंजीकरण धारक उन्हें पंजीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- (4) यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाला कोई व्यक्ति पंजीकरण समिति को प्रमाणपत्र वापस नहीं कर पाता है तो उसके विरुद्ध तीन महीने की अवधि के भीतर उप-पैराग्राफ (3) में उल्लिखित उक्त धारा में प्रस्तुत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (5) प्रत्येक राज्य सरकार उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे कदम उठाएगी जो वह राज्य में इस आदेश के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समझती है।

[फा. सं. 13035/46/2016-पीपी-1 (खंड-ii)]

अतीश चंद्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2020

S.O. 531(E).—Whereas the Central Government, in pursuance of the orders of Hon'ble Supreme Court of India in its judgment in the case of Writ Petition No. 1094 of 1988 filed by Dr. Ashok vs. Union of India and others, constituted an Inter Ministerial Committee to review the use of insecticides and hazardous chemicals;

Whereas the Inter Ministerial Committee, in a meeting held on 8th January, 2019 and 10th October, 2019 has discussed and reviewed the use of Tricyclazole and Buprofezin. It has been further decided to revisit the usefulness, efficacy and safety of the Tricyclazole and Buprofezin in a holistic manner keeping in view the maximum residue limit fixed by European Union in respect of said insecticides on rice crop;

And whereas the Central Government, after considering the views expressed by the said Inter Ministerial Committee, is of the opinion that the use of Tricyclazole and Buprofezin involves health hazards to human beings, animals and the environment;

The Draft Order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Order shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the Order are made available to the public.

Any suggestion or objection in respect of the said Draft Order may be forwarded to the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby proposes to make the following Order, namely:-

DRAFT ORDER

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Insecticides (Prohibition) Order, 2020
(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.
2. **Prohibition of insecticides. -**
 - (1) No person shall import, formulate, manufacture, sell, transport, distribute, stock and use Tricyclazole and Buprofezin.
 - (2) The certificate of registration granted for Tricyclazole and Buprofezin under section 9 of the said Act shall be deemed to be cancelled.
 - (3) All registrants having certificate of registration granted for Tricyclazole and Buprofezin shall submit the same to the Registration Committee.
 - (4) If any person, who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in sub-paragraph (3), within a period of three months, action shall be taken under the provisions contained in the said Act.
 - (5) Every State Government shall take such steps under the said Act and the rules made thereunder, as it considers necessary, for the implementation of this Order in the State.

[F. No. 13035/46/2016-PP-I (vol.ii)]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.